### (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE (EXTRA ORDINARY)

# DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING (DEVELOPMENT DEPARTMENT) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 49, SHAM NATH MARG, OLD SECTT., DELHI-110054. Fax No. 23818298, E-Mail Address: dagri@sansad.nic.in

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ 4299

Dated: 20/8/2010

#### **NOTIFICATION**

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ In exercise of the powers conferred under Section 29 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi hereby order that the Chairman and Vice-Chairman of APMC (MNI) Azadpur will continue to hold office upto 30.11.2010 or till their successors are nominated and assume office, whichever is earlier.

By order and in the name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi

(KAILASH CHANDRA)
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)
GOVT. OF NCT OF DELHI

No. F. 8/23/2010-DAM/MR/ 4300 - 4325

Dated: 20/8/2010

#### Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi

2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad

3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi

- 4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.

6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.

- 7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
- 9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra-Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
- 10. The Chairman/Secretary, Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur and Shahdara, Delhi/New Delhi and Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, Khoya/Mawa Marketing Committee, Bagh Diwar/Mori Gate and Flower Marketing Committee, Mehrauli, Delhi.

11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi

- 12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
- 13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi
- 14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.

15. Guard file.

(KAILASH CHANDRA) SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI (दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)

कृषि विपणन निदेशालय
(विकास विभाग)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
फैक्स संख्याः 23818298 ई मेल पताः dagri@sansad.nic.in

सं. एफ 8/23/2010 / डी०ए०एम० / एम०आर० / ५299

दिनांक : 20/8/2010

## अधिसूचना

सं. एफ 8/23/2010/डी0ए0एम0/एम0आर0/ दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 7) की धारा 29 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निदेश देते हैं कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कृषि उत्पाद विपणन समिति (एम.एन.आई) आजादपुर दिनांक 30.11.2010 तक या अपने उत्तराधिकारियों के नामांकित होने और कार्यग्रहण करने तक जो भी इनमें पहले हो, पद पर बने रहेगें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> कैलाश चन्द्र) (कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं. एफ 8/23/2010 / डी०ए०एम० / एम०आर० / ५३०० - ५३३ऽ

दिनांक : २०१४)२०10

#### प्रतिलिपि:-

1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।

3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

- प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।

7 विकास आयुक्त, दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।

- 8 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति).
- 10 अध्यक्ष / सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), दिल्ली / नई दिल्ली और मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, खोया / मावा विपणन समिति, बाग दीवार / मोरी गेट एवम पूष्प विपणन समिति, महरौली, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

माला चानु

(कैलाश चन्द्र) विशेष सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार